(नियम–26)

अ... (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

राजस्व वाद 124/2021
जीसीएमएस नंबर–2021/256
सहीराम बनाम् सिताराम वगैरह

प्रतिवादी संख्या 1 सीताराम के हक बंट में जरिये राजीनामा, नजरीनक्शानुसार एवं सहमति से चाही गई है, जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 2 ने किसी प्रकार की उजर आपति भी प्रस्तुत नहीं की तथा सहमति से बंटवाड़े की इच्छा जाहिर की है। चूंकि प्रकरण हाजा में मौजा गुजरियावास का खेत खसरा नंबर 976 यथावत प्रतिवादी संख्या 2 जयराम के नाम रखा गया है। अतः मौजा खिंयाला के खेत खसरा नंबर 1733 व मौजा गुजरियावास के खेत खसरा नंबर 976 में वादी सहीराम एवं प्रतिवादी संख्या 1 सिताराम को प्रतिवादी संख्या 2 जयराम के साथ खातेदार घोषित किया जाकर वाद पत्र के पैरा संख्या 2 के (क से घ) के अनुसार मुताबिक राजीनामा एवं साक्ष्य शपथ पत्र वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

— : : आदेश : : —

यत् वादी का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा खिंयाला के खेत खसरा नंबर 1733 व मौजा गुजरियावास के खेत खसरा नंबर 976 में वादी सहीराम एवं प्रतिवादी संख्या 1 सिताराम को प्रतिवादी संख्या 2 जयराम के साथ खातेदार घोषित किया जाकर वाद पत्र के पैरा संख्या 2 के (क से घ) के अनुसार मुताबिक राजीनामा एवं साक्ष्य शपथ पत्र हम वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी सहीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा ग्राम खिंयाला का खेत खसरा नंबर 1733 रकबा 34.02 बीघा में से 17.01 बीघा उतरी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. प्रतिवादी सिताराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा ग्राम खिंयाला का खेत खसरा नंबर 1733 रकबा 34.02 बीघा में से 17.01 बीघा दक्षिणी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 जयराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गुजरियावास का खेत खसरा नंबर 976 रकबा 11.03 बीघा सम्पूर्ण यथावत रखा गया है।
4. मौजा खिंयाला के खेत खसरा नंबर 1733 रकबा 34.02 बीघा का माफिक बंट नजरीनक्शा अलग से पेश है जो वादपत्र एवं निर्णय का एक अभिन्न अंग है।

निर्णय आज दिनांक 28/12/21 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner